20रु. कोर्ट फी COURT FEE INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES CANCELLED

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र. सागर केम्प

निग.- 4344/2018/सागर/भू.रा.

अभिषेक पिता महेन्द्र कुमार बिलगैया

निवासी शास्त्री वार्ड बीना तह. बीना जिला सागर म.प्र.

..........निगरानीकर्ता/आवेदक

//विरूद्ध//

1. कांति पिता केशवप्रसाद बिलगैया
2. आशीष पिता चंद्रकांत बिलगैया

दोनों निवासी शास्त्री वार्ड बीना तह. बीना

जिला सागर म.प्र. ....अनावेदकगण

B-O-R 30 MAY 2018

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

आवेदक की ओर से विनम्र प्रार्थना है :-

अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बीना जिला सागर द्वारा राजस्व प्रकरण कं. 1 अ 12/2017-18 मौंजा कौरजा पक्षकार अभिषेक बिलगैया में पारित आदेश दिनांक 23/04/2018 से व्यथित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की है।

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि आवेदक के आधिपत्य एवं स्वामित्व की भूमि ग्राम कौरजा पटवारी हल्का नंबर 57 खसरा कं. 485, 491, 496,503 रकवा 1.94,198,0.50,0.25 हेक्टेयर स्थित है जिस पर आवेदक काबिज कास्त है।

2. यह कि उपरोक्त भूमि आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है जिस पर आवेदक काबिज होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है।

3. यह कि आवेदक के स्वामित्व की भूमि पर कृषि कार्य के दौरान एक दिशा में सीमा चिन्ह लुप्त हो जाने के

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–4344/2018/सागर/भू.रा.

अभिषेक बिलगैया विरूद्ध कांति बिलगैया व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22–08–2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार बिना, जिला–सागर के प्रकरण क्रमांक 01/अ–12/2017–2018 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 23–04–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27–07–2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25–9–2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 04–11–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	